न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **67/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री भगवतसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी जगपुरा त0 बदनोर जिला भीलवाड़ा
—अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक 20/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर के विरूद्ध दिनांक 24.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 676280 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 18.05.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18.05.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बदनोर से प्राप्त प्रत्युत्तर अपने पत्रांक 355–56 दिनांक 11.09.2017 के द्वारा प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं तथा पत्रावली में प्रस्तुत प्रत्यर्थी के जवाब पत्रांक 355–56 दिनांक 11.09. 2017 का अध्ययन किया। उक्त अपीलार्थी को तहसीलदार बदनोर के पत्रांक 253 दिनांक 12.05.2017 एवं दिनांक 3.07.2017 को सूचना उपलब्ध कराई गई। दिनांक 03.07.2017 को अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति के स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी ग्राम जगपुरा में हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में सूचना चाही है इस सम्बन्ध में तहसीलदार बदनोर ने अपने पत्र दिनांक 11.09.2017 में स्पष्ट किया कि ग्राम जगपुरा तहसील आसीन्द से तहसील बदनोर में वर्ष 2013 में नई तहसील क्रमोन्नत होने पर शामिल हुआ तब से अपीलार्थी को सूचना देने की दिनांक तक पटवारी हल्का जगपुरा के द्वारा अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट तहसील कार्यालय बदनोर में प्रस्तुत नहीं किए जाने से अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही सम्बन्धी सूचना शून्य होने के सम्बन्ध में पत्रांक 253 दिनांक 12.05.2017 से अपीलार्थी को सूचित किया गया तथा उक्त ग्राम की चरागाह भूमि की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 इसी पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार जो सूचना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसील कार्यालय बदनोर में उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से अपील अपीलान्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा